

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही गय इनिशियल जज	नाम्बर व तारीख अज्ञापन के हुकम की कार्य में जारी हुए
------------	------------------------------	---

18.8.23 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप
ही तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट प्राप्त
है चुकी है पत्रावली वास्तु बहस
पत्र हेतु दिनांक 8.9.23 को पेश
की

8/9/23

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान
पीटार्सन अधिकारी महोदय वॉर/ अवकाश/अन्य
राजतदर्थ न तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.9.23
को पेश है।

9.9.23

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत
आज पेश हुई राष्ट्रीय लोक अदालत
के तहत आयोजित श्री काउंसलिंग शिविर
दिनांक 3.9.23 में प्रार्थी उपस्थित हुए/
प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र
में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए
निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण
सं. 1,2,3 में वर्णित श्रमियों में अक्षित
नाम मसरिया को विलोपित कर उसके
स्थान पर मिश्रीलाल गीना दर्ज किया
जावे।

प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार
नैनवां की रिपोर्ट दिनांक 23.2.23 का
अवलोकन किया गया। तहसीलदार
नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम
देई के खाता सं. 70 पुराना 62 के
आराजी खसरा सं. 13 वू. 156 कुल
किता 2 रकबा 3.0419 में मसरिया





✓

बून्दी (राज0)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
दुग्ग की तारीख
में जारी हुए

तारीख दुग्ग	दुग्ग या कर्तव्यकी अन्य इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस दुग्ग की तारीख में जारी हुए
	<p>पुत्र देवा हि० 1/5, खाता सं. 34 पुराना 29 के खसरा सं. 10, 11, 16, 92, 96, 105, 154 कुल कित्ता 8 रुबवा 3.1633 जो मसरिया पुत्र देवा-हि० 1/6 व खाता सं. 18 पुराना 20 के खसरा सं. 90 रुबवा 0.0890 में मसरिया पुत्र देवा हि० 1/48 दर्ज रिपोर्ट ही मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का कालामाल मसरिया पुत्र देवा एवं मिश्रीलाल पुत्र देवा एक ही व्यक्ति हैं। इसमें प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, पुस्तक रिपोर्ट दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि मसरिया पुत्र देवा एवं मिश्रीलाल पुत्र देवा एक ही व्यक्ति हैं। अतः प्रार्थना का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR से स्वीकार किया जाता है। ग्राम जीवनपुरा पटवार मण्डल कालामाल तहसील नैनवां जिला-बून्दी के खाता सं. 70 पुराना 62 की खसरा सं. 13, 156 कुल कित्ता 2 रुबवा 3.0419 है। खाता सं. 34 पुराना 29 के खसरा सं. 10, 11, 16, 92, 96, 105, 154, 153 कुल कित्ता 8 रुबवा 3.1633 हेक्टेयर, खाता संख्या 95 पुराना 92 के खसरा सं. 15 रुबवा 0.5744 हेक्टेयर खाता सं. 18 पुराना 20 के खसरा सं. 90 रुबवा 0.0890 में दर्ज "मसरिया पुत्र</p>	

(Signature)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व। अहकाम के हुकम की तारीख में जारी हुए हुकम
	<p> देवा" के स्थान पर " मसरिया उर्फ मिश्रीलाल पुत्र देवा " संशोधित करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्य में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। </p> <p>  अध्यक्ष  सदस्य राजेका विधिक सेवा समिति नैनवाँ जिला बुन्दी (राज0) 9/9/23 </p>	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी (राज0)

क्रमांक:- सीडर/20.23/ 276

दिनांक:- 11.9.23

प्रेषित:-

तहसीलदार
नैनवां।

विषय:- न्यायालय निर्णय की पालना करने हेतु।


वाद/प्रार्थना पत्र संख्या..... 216 / प्रणप्त 2022

बउनवान..... मिश्री लाल बनाम..... गडर

निर्णय दिनांक..... 9-9-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद पत्र/प्रार्थना पत्र के निर्णयानुसार पत्र के साथ प्राथमिक डिक्री/अन्तिम डिक्री/अंतिम निर्णय की प्रति वास्ते पालना हेतु भिजवायी जा रही है। पालना अन्दर 7 योम के की जाकर रिपोर्ट से अवगत करावे।

संलग्न:- उक्तानुसार।


उपखण्ड अधिकारी
नैनवां